



छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2010 (माघ-26, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार-
 - (i) अधिसूचना क्रमांक 29/सी.एस.ई.आर.सी./2009, दिनांक 15 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम 2009 तथा
 - (ii) अधिसूचना क्रमांक 30/सी.एस.ई.आर.सी./2009, दिनांक 20 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009.
- (2) श्री हेमचंद्र यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का पैतालिसवां वार्षिक प्रतिवेदन 2008-09.
- (3) श्री हेमचंद्र यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2008-2009.
- (4) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के -
 - (i) तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004
 - (ii) चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005
 - (iii) पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006
- (5) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री, बेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के -
 - (i) तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2004-2005
 - (ii) चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2005-2006 तथा
 - (iii) पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2006-2007

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, रायपुर नगर स्थित गौरव फार्मास्युटिकल्स फैक्ट्री द्वारा नकली खाद्य सामग्री व दवाईयां तैयार किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे.
- (2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में अव्यवस्था व्याप्त होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री भीमा मण्डावी, सदस्य, दंतेवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मेटापाल से कावड़गांव मार्ग पर स्थित डंकनी नदी में पुल निर्माण करने,
- (2) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम पंचायत भुईगांव में हाईस्कूल खोलने,
 - (ii) ग्राम पंचायत कोसीर में हाईस्कूल खोलने,
 - (iii) ग्राम पंचायत खरखोद में हाईस्कूल खोलने,
 - (iv) ग्राम पंचायत हिर्री में हाईस्कूल खोलने,
 - (v) ग्राम पंचायत तुसमा में हाईस्कूल खोलने,
 - (vi) ग्राम पंचायत मुड़पार में हाईस्कूल खोलने,
 - (vii) ग्राम पंचायत रसौटा में हाईस्कूल खोलने,
 - (viii) ग्राम पंचायत मेऊ में हाईस्कूल खोलने,
- (3) श्री महन्त रामसुन्दर दास, सदस्य, जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -
 - (i) ग्राम भातमाहूल में बोराई नदी पर स्टापडेम सह रपटा निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम कैथा में हाईस्कूल खोलने,
 - (iii) ग्राम खजुरानी में हाईस्कूल खोलने,
 - (vi) ग्राम सिलादेही में हाईस्कूल खोलने,
 - (v) ग्राम लखाली में हाईस्कूल खोलने,
 - (vi) ग्राम करही में हाईस्कूल खोलने,
 - (vii) ग्राम जमड़ी से गुड़रूखुर्द तक पक्की सड़क एवं नालों पर पुल निर्माण करने,
 - (viii) ग्राम धीवरा से डोमाडीह तक पक्की सड़क एवं पुल निर्माण करने,
 - (ix) ग्राम कैथा से गुड़रूखुर्द तक पक्की सड़क एवं नालों पर पुल निर्माण करने,
 - (x) ग्राम पचौरी-झर्रा से ग्राम सरवानी के मध्य पक्की सड़क निर्माण करने तथा
 - (xi) ग्राम तुमीडीह-बैहागुड़रू से देवरघटा तक पक्की सड़क एवं नालों पर पुल निर्माण करने के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेगे.